सं. एन-41011/06/2023-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001

दिनांक: 08 जून, 2023

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है। मंत्रालय समय-समय पर सभी प्राइवेट टीवी चैनलों को उक्त संहिता के प्रावधानों का पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी करता है।

2. हाल ही में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने मीडिया द्वारा 28.02.2023 को धर्मशाला में परमपावन दलाई लामा जी और एक बच्चे से जुड़ी एक घटना के गलत चित्रण पर चिंता जताई है। आयोग ने टीवी चैनलों द्वारा इस मामले को प्रस्तुत करने के तरीके पर आपत्ति जताई है और उक्त घटना के संबंध में मीडिया पर अशिष्ट/असभ्य और अपमानजनक सामग्री की कड़ी निंदा की है।

3. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम संहिता में प्रावधान है कि - कोई भी *कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें-*
नियम 6(1)(ग): धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हैं या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं;
नियम 6(1)(घ) : कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूठी *और विचारोत्तेजक बातें और अर्धसत्य शामिल हैं;*
नियम 6(1)(i): व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या देश के कुछ *समूहों, सामाजिक, सार्वजनिक* और नैतिक जीवन के क्षेत्रों की आलोचना, बदनामी या निंदा करता है।

तदनुसार, सभी टीवी चैनलों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करें, उचित सावधानी, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता बरतें और ऐसी प्रकृति की घटना की रिपोर्टिंग करते समय किसी भी असत्यापित सामग्री को प्रसारित करने से बचें।

हस्ता-/-

(प्रतीक जैन)
उप निदेशक
दूरभाष: 2373316
ईमेल: prateekjain.89@gov.in

प्रतिलिपि:

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-विनियामक निकाय।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संघ/निकाय।